



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

<p>प्रार्थी राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर</p>	<p>आपुनयन ५ पोस्टपत्र जा. एकेकपुत्र 7/8</p>	
<p>किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957</p>		
<p>प्रार्थना-पत्र नम्बर 289/2021</p>		<p>GCMS No. 2021/382</p>
<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>16.08.2021</p>	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 27.08.2021 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </p> <p> <u>27/8/2021</u> पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोचामन से बाहर पठा है। अतः पत्रावली दिनांक 17.9.2021 को पेश हो </p> <p> <u>17/9/2021</u> पत्रावली पेश हुई प्रकरण का क्वरॉन्टेशन किया गया जमाना जमाने की अग्रता सभी लेखित खातेदापन की दरमाती नहीं होने के प्रमाणपत्र का किल खातेदापन योग्य हो इस प्रमाणपत्र दरमाती के कारण से खातेदापन किया जा रहा है पत्रावली के फल मुगार देका. मय के काम देका दाखिल दमाती हो </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </p>	<p>QR Code</p>